अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट मुकाम बस्सी जिला जयपुर व अलजास.
दीपाली भगोतिया सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बस्सी जयपुर

1. सुवालाल
2. मुकेश पुत्रान हनुता
जाति. हरि. ब्राहमण
निवासी श्रीनगर त. बस्सी।

बनाम

1. हनुता पुत्र स्व. हरजी
2. रामफूल
3. राधेश्याम
4. बाबूलाल
5. हरिमोहन
6. रामजीलाल पुत्रान हनुता
7. काल्या
8. हेमल्या पुत्रान स्व. हरजी
9. गुलाब चन्द पुत्र किशना
10. नन्दकिशोर पुत्र लक्ष्मीनारायण
11. रामेश्वर
12. लल्लू पुत्रान रामसहाय
13. श्रीनारायण पुत्र मूल्या
14. छीतरमल
15. मूलचन्द पुत्रान भौरीलाल
16. कृष्णलाल पुत्र भौरीलल
समस्त जाति हरि. ब्राहमण निवासी
श्रीनगर तह. बस्सी।
17. एस.बी.आई जरिये मैनेजर बस्सी।
18. एस.बी.बी.जे. जरिये मैनेजर बस्सी।
19. तहसीलदार बस्सी।
20. उपपंजीयक बस्सी।
21. पंचायत पाटन।

<u>दावा बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा</u>

मुकदमा नम्बर 84/13 दिनांक 23.03.2018

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित है। वकील वादी की वाद पत्र पर एक पक्षीय बहस सुनी गयी। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि विवादित भूमि हाल ख.नं. 119/1, 119/10, 119/2, 119/3, 119/4, 119/5, 119/6, 119/7, 119/08, 119/9 कुल किता 10 कुल रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा वाके ग्राम श्रीनगर पटवार हल्का पाटन भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र तूंगा तहसील बस्सी जिला जयपुर में स्थित है। वाद के मद नं. 2 में वर्णित विवादित भूमि के काबिज रिकार्डेड खातेदार काश्तकार जैला वल्द चन्द्रा थे एवं उनके पांच पुत्र हुये, रामसहाय, किशना, गणेश, हरजी, मूल्या पुत्रान जैला एवं जैला पुत्र चन्द्रा के जीवनकाल मे ही उसके तीन पुत्र रामसहाय, हरजी, मूल्या फौत हो गये थे। इस कारण जैला पुत्र रामचन्द्र की विरासत का नामान्तरकरण रामसहाय के पुत्र बद्री, रामेश्वर, बाबू एवं हरजी के लडके हनुता, काल्या, हेमल्या, मूल्या के लडके श्रीया एवं किशना, गणेश पुत्रान जैला के नाम खोला व तस्दीक किया गया था। इस प्रकार इस वाद की विवादित भूमि मूं 1/5 हिस्सा वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 लगा 8 को पूर्वज जैला पुत्र चन्द्रा से हरजी पुत्र जैला के वारिसान होने के नाते सामूहिक रुप से प्राप्त हुआ है एवं उक्त 1/5 हिस्से में से 1/3 दर हिस्सा 1/5 वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 लगा 6 का सामूहिक रुप से बनता है एवं शेष 2/3 दर हिस्सा 1/5 प्रतिवादीगण

Contd--2

7 व 8 का है। दिनांक 05.09.2013 को प्रतिवादी सं. 1 प्रतिवादीगण 2 लगा 6 के साथ विवादित भूमि पर आ गये एवं वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 6 की इस वाद की शामलाती पैतृक विवादित भूमि पर जबरन कब्जा करने लगे एवं वादीगण को जबरन बेदखल करने लगे एवं मौके पर पुख्ता निर्माण करने लगे एंव वादीगण द्वारा मन करने पर झगडा किया एवं विवादित भूमि पर पुख्ता निर्माण कर बेचान करने की धमकियां दी एवं वादीगण के कोई हक व अधिकार होने से मना कर दिया। इस कारण वादीगण को प्रतिवादीगण 1 लगा 6 के विरुद्ध यह वाद पत्र बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश करने का वाद कारण उत्पन्न हुआ है जो निरन्तर जारी है। वादीगण का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण 1 लगा 6 बाबत घोषणा का डिक्री किया जाकर वाद के मद नं. 2 में वर्णित विवादित भूमि के प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 1/3 दर हिस्सा 1/5 में से 2/8 हिस्से के खातेदार वादीगण को घोषित किया जावे व शेष 6/8 हिस्से के खातेदार प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 को घोषित किया जावे व विवादित भूमि के वर्तमान राजस्व रिकार्ड को दुरुस्ती किया जाकर उसमें हिस्सेनुसार वादीगण का नाम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें। वादीगण का वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का डिक्री किया जाकर वाद के मद नं. 2 में वर्णित विवादित भूमि के संबंध में स्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जावे कि वे वादीगण को विवादित भूमि को हिस्सेनुसार काशत करने में बाधा नहीं डाले एवं नही पुख्ता निर्माण करें न ही बेचान करें एवं राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रतिवादीगण की एक तरफा कार्यवाही होने से वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन एवं वकील वादी की वाद पत्र पर की गयी बहस पर मनन करने एवं वकील वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन के पश्चात वादी का वाद स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी ख.नं. 119/1, 119/10, 119/2, 119/3, 119/4, 119/5, 119/6, 119/7, 119/08, 119/9 कुल किता 10 कुल रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा वाके ग्राम श्रीनगर पटवार हल्का पाटन भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र तूंगा तहसील बस्सी जिला जयपुर में से प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 1/3 दर हिस्सा 1/5 में से 2/8 हिस्से के खातेदार वादीगण को तथा शेष 6/8 हिस्से के खातेदार प्रतिवादीगण सं. 1 लगा 6 को घोषित किया जाता है। तहसीलदार बस्सी को आदेश दिया जाता है कि उक्त वाद ग्रस्त भूमि का उक्तानुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड को दुरुस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय व डिक्री की पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 23.03.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23.3.18

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बस्सी

अंतिम डिकी मुकदमा इब्तदाई
(ओ.20 रुल्स व 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट मुकाम बस्सी जिला जयपुर व अलजास.
दीपाली भगोतिया सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बस्सी जयपुर

1. सुवालाल
2. मुकेश' पुत्रान हनुता
   जाति. हरि. ब्राहमण
   निवासी श्रीनगर त. बस्सी।

बनाम

1. हनुता पुत्र स्व. हरजी
2. रामफूल
3. राधेश्याम
4. बाबूलाल
5. हरिमोहन
6. रामजीलाल पुत्रान हनुता
7. काल्या
8. हेमल्या पुत्रान स्व. हरजी
9. गुलाब चन्द पुत्र किशना
10. नन्दकिशोर पुत्र लक्ष्मीनारायण
11. रामेश्वर
12. लल्लू पुत्रान रामसहाय
13. श्रीनारायण पुत्र मूल्या
14. छीतरमल
15. मूलचन्द पुत्रान भौरीलाल
16. कृष्णलाल पुत्र भौरीलल
    समस्त जाति हरि. ब्राहमण निवासी
    श्रीनगर तह. बस्सी।
17. एस.बी.आई जरिये मैनेजर बस्सी।
18. एस.बी.बी.जे. जरिये मैनेजर बस्सी।
19. तहसीलदार बस्सी।
20. उपपंजीयक बस्सी।
21. पंचायत पाटन।

दावा बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदम. नम्बर 84/13 दिनांक 23.03.2018

वादी का वाद अंतिम डिकी किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी ख.नं. 119/1, 119/10, 119/2, 119/3, 119/4, 119/5, 119/6, 119/7, 119/08, 119/9 कुल किता 10 कुल रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा वाके ग्राम श्रीनगर पटवार हल्का पाटन भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र तूंगा तहसील बस्सी जिला जयपुर में से प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 1/3 दर हिस्सा 1/5 में से 2/8 हिस्से के खातेदार वादीगण को तथा शेष 6/8 हिस्से के खातेदार प्रतिवादीगण सं. 1 लगा 6 को घोषित किया जाता है। तहसीलदार बस्सी को आदेश दिया जाता है कि उक्त वाद ग्रस्त भूमि का उक्तानुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड को दुरुस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। ....निजी..................मुबलिक.....................बाबत.. .खर्चा... इस मुकददमें का मय सूद वगैरह..................फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाव तक..........................को अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 23.03.2018 को जारी किया गया।

मोहर दस्तख्त.............................. 23.3.18

ओहदा................................

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी			स्टाम्प अर्जी		

Contd--2

दावा स्टाम्प बकालतनामा स्टाम्प वहत सबूत महन्ता वकील खर्चा गवाहन फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			दावा स्टाम्प बकालतनामा स्टाम्प वहत सबूत महन्ता वकील खर्चा गवाहन फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

नोटः— इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बस्सी